



उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी  
भवाली, जिला-नैनीताल पिन : 263132

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

की

धारा 4 (1)(ख)

के

अन्तर्गत तैयार मैनुअल्स का विवरण :

## धारा 4 (1)(ख)(i)

## (मैनुअल संख्या-1)

### अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

- संगठन - उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी का गठन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 'ऑल इंडिया जजेज् एशोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' (ए.आई.आर.1992 एस.सी.165) में दिये गये आदेश के क्रम में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति पर उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या1-एक(10)/छत्तीस(I)/ न्या. अनु./2004 देहरादून : दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 द्वारा किया गया है।
- कृत्य - अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण। विधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य।
- कर्तव्य - प्रशिक्षण कार्य।

\*\*\*\*

उत्तरांचल शासन

न्याय अनुभाग

संख्या: 1-एक(10)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2004

देहरादून: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल राज्य में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुतियों के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल न्यायिक अधिकारियों, विधि अधिकारियों, शासकीय अधिवक्ताओं तथा लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण एवं न्याय प्रशासन और विधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य हेतु एक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का नैनीताल में न्याय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त संस्थान के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में राज्यपाल महोदय निम्नलिखित 05 अस्थायी संवर्गीय पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा इन आदेशों के जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो से 6 (छः) माह अथवा 28.02.2005 जो भी पूर्व में हो, तक यदि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के इसके पहले ही समाप्त न कर दिए जाए, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान(रूपया में)
1	निदेशक	1	18750-22850

2	अपर निदेशक	2	16700-450-20500
3	संयुक्त निदेशक	1	12850-17550
4	संयुक्त निदेशक (लेखा)	1	वित्त सेवा का संवर्गीय वेतनमान
कुल पदों की संख्या		5	

3. उक्त पदों पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों को समय-समय पर अनुमन्य महंगाई तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।
4. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे।
5. शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पदों पर जनपद स्तर पर इसी वेतनमान/संवर्ग में तैनात अधिकारियों की ही नियुक्ति की जायेगी, जो उक्त संस्थान के साथ-साथ जनपदीय कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1621/वित्त अनुभाग-3/2004, दिनांक 20-10-2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(यू0सी0ध्यानी)  
सचिव

\*\*\*\*

प्रेषक,

यू0सी0 ध्यानी,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग:

देहरादून: दिनांक 31 अक्टूबर, 2005

विषय:— उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-752/UHC/UJALA/2005, दिनांक 9.2.2005 के सदर्थ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित कुल 45 अस्थायी संवर्गीय पदों को उसके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा शासनादेश निर्गत किये जाने या नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो से 6 (छः) माह अथवा दिनांक 28.2.2006, जो भी पूर्व में हो तक, यदि ये बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जाए, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के साथ ही साथ प्रश्नगत पदों के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 की प्रथम अनुपूरक मांग से विधायी अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त विभिन्न मदों हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार रूपये 29,000/ (रूपये उनतीस हजार मात्र) की प्रतीक धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आबंटन की भी महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

01-वेतन	1
02-मजदूरी	1
03-महंगाई भत्ता	1
04-यात्रा व्यय	1
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1
06-अन्य भत्ते	1
07-मानदेय	1
08-कार्यालय व्यय	1
09-विद्युत देय	1
10-जलकर/जल प्रभार	1
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1
13-टेलीफोन पर व्यय	1

14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	1
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1
18-प्रकाशन	1
22-अतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1
25-लघु निर्माण कार्य	1
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1
29-अनुरक्षण	1
41-भोजन व्यय	1
42-अन्य व्यय	1
44-प्रशिक्षण व्यय	1
45-अवकाश यात्रा व्यय	1
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1
48-महंगाई वेतन	1

---

कुल योग— 29

---

3. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा अनुमन्य महंगाई व अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।
4. कार्मिक विभाग के प्रचलित शासनादेशों के तहत सहायक निदेशक के पदों को छोड़कर शेष पूर्णकालिक पदों पर भर्ती यथासम्भव प्रदेश के फालतू/छंटनीशुदा कर्मचारियों से ही की जाएगी।
5. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे।
6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-09-उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अषासकीय संख्या 19/ वित्त अनु.-5/2005, दिनांक 26.10.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,  
(यू0सी0 ध्यानी)  
सचिव।

संख्या:- 1-एक (10)/छत्तीस(1)/2005-563/01-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. अपर निदेशक, उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. एन.आई.सी./गार्ड फाईल

आज्ञा से  
(आर0डी0 पालीवाल)  
अपर सचिव

शासनादेश संख्या: 1-एक(10)/छत्तीस(1)/2005-563/01

दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 का संलग्नक

उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के अतिरिक्त पदों का सृजन

(1) राजपत्रित पद:

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	सहायक निदेशक	1	9000-14500
2	सहायक निदेशक (लेखा संवर्ग)	1	8000-13500
3	प्रशिक्षण अधिकारी (निःसंवर्गीय)	1	6500-10500
<b>कुल योग</b>		<b>3</b>	

(2) अराजपत्रित पद:

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	वैयक्तिक सहायक	1	5500-9000
2	आशुलिपिक	1	4500-7000
3	आशुलिपिक	3	4000-6000
4	कार्यालय अधीक्षक	1	5000-8000
5	वरिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	2	4500-7000
6	केयर टेकर	1	4000-6000
7	वरिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	2	4000-6000
8	कनिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	2	3050-4590
9	स्टोर कीपर	1	3200-4900
10	लेखाकार	1	5000-8000
11	सहायक लेखाकार	1	4000-6000
12	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	6500-10500
13	केटालागर/ईशु लिपिक	1	3050-4590
14	रिसर्च आफिसर	1	5500-9000
15	कीड़ा सहायक	1	4500-7000
<b>कुल योग</b>		<b>20</b>	

(3) अन्य स्टॉफ

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	वाहन चालक	4	3050-4590
2	दफ्तरी	1	2610-3540
3	चीफ कुक	1	2610-3540
4	रसोई सहायक	1	2550-3200
5	मेस/ छात्रावास अटेण्डेंट	4	2550-3200
6	कार्यालय चपरासी	9	2550-3200
7	क्लास अटेण्डेंट	1	2550-3200
8	लाइब्रेरी अटेण्डेंट	1	2550-3200
<b>कुल योग</b>		<b>22</b>	
<b>तालिका 1+2+3 का कुल योग</b>		<b>3 + 20 + 22 = 45 पद</b>	

आज्ञा से  
(आर0डी0 पालीवाल)  
अपर सचिव

\*\*\*\*

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,  
भवाली, नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 27 फरवरी, 2019

**विषय-उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल के अधिष्ठान में नये 03 पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-706/01-VIII/2017 दिनांक 27.10.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अकादमी के अधिष्ठान में नये पद सृजित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल के अधिष्ठान में निम्नलिखित 03 अस्थायी पदों का सृजन दिनांक 29.02.2020 तक, बशर्ते उक्त पद इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	पदनाम	सृजित होने वाले पदों की संख्या	वेतनमान (7वें वेतन आयोग के अनुसार)
1.	व्यवस्थाधिकारी	01	35400-112400 Level-6
2.	सिस्टम ऑफिसर (कम्प्यूटर)	01	35400-112400 Level-6
3.	कनिष्ठ सहायक	01	21700-69100 Level -3
	<b>कुल पद</b>	<b>03</b>	

3- उक्त मद में होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-मतदेय-800-अन्य व्यय-09-



उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी-00" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- उक्त पदों पर सुसंगत नियमावली के अधीन नियुक्तियां की जायेगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-208/XXVII(7)/2019 दिनांक 26.02.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी०पी० गैरोला)  
प्रमुख सचिव

क्रमशः.....2

**संख्या— /XXXVI(1)/2019-98/2010 तददिनांकित।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त अनुभाग-7 / कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन०आई०सी० / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रीतेश कुमार श्रीवास्तव)  
अपर सचिव

\*\*\*\*

प्रेषक,

आर० डी० पालीवाल,  
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 21 अगस्त, 2008

विषय- उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (UJALA) में अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 27 / पी०ए० / 2008 दिनांक 24.6.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के निम्नलिखित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा न्यायिक/ अर्ध न्यायिक प्रकृति/ विधि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं, जिस कारण उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी नैनीताल में अल्प कालिक प्रशिक्षण के द्वारा इन विभागों के कार्मिकों का मार्गदर्शन किया जा सकता है:-

(1) राजस्व विभाग के पटवारी, कानूनगों, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारीगण का राजस्व विधि, चकबन्दी विधि के क्षेत्र में एवं राजस्व पुलिस के अधिकारीगण का दांडिक विधि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।

(2) श्रम विभाग के पीठासीन अधिकारी, अपर श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त तथा सहायक श्रमायुक्त का श्रम विधियों, सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य विधि के बारे में प्रशिक्षण।

(3) पुलिस विभाग के निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सर्तकता विभाग के अधिकारी तथा अपराध अनुसंधान विभाग के अधिकारीगण का दाण्डिक विधि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।

(4) राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारीगण का राजस्व विधि, किराया नियंत्रण विधि, आर्म्स एक्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट तथा साक्ष्य विधि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।

- (5) मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत चालान एवं कर सम्बन्धी कार्य करने वाले सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं संभागीय परिवहन अधिकारीगण का मोटर यान विधि तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के बारे में प्रशिक्षण।
- (6) चिकित्सा विभाग, शहरी विकास के खाद्य निरीक्षकों का खाद्य एवं अपमिश्रण अधिनियम के अधीन अभियोजन से सम्बन्धित प्रशिक्षण।
- (7) विभिन्न विभागों के अनुशासनिक अधिकारी जैसे विभागाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष मंडलीय एवं क्षेत्रीय अधिकारीगण का सेवा विधि (Service Jurisprudence) के बारे में प्रशिक्षण।
- (8) जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा अभियोजन विभाग के सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन अधिकारी, इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण ले सकते हैं कि राज्य का पक्ष कितने प्रभावपूर्ण ढंग से सिविल/दाण्डिक में न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है।
- (9) विभिन्न विभागों में आर्बिटेशन का कार्य करने वाले अभियन्तागण को माध्यस्थ (Arbitration) विधि तथा संविदा का प्रारूप तैयार करना (Conveyancing) का प्रशिक्षण।
- (10) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सब रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प एक्ट के मामलों से सम्बन्धित वादों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।
- (11) आबकारी निरीक्षकों का आबकारी अपराधों की विवेचना/अभियोजन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।
- (12) वन क्षेत्राधिकारी सहायक वन संरक्षण एवं उप वन संरक्षकों का वन अपराधों की विवेचना व अभियोजन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।
- (13) शासन के विधायी एवं संसदीय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का विधायी आलेखन (Legislative Drafting) के बारे में प्रशिक्षण।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त विभागों के कार्मिकों को उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में लगभग एक सप्ताह का अल्प कालिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवहारिकता के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(आर0डी0 पालीवाल)  
सचिव

संख्या— 205(1)/xxxvi(1)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,  
(आलोक कुमार वर्मा)  
अपर सचिव

\*\*\*\*

धारा 4 (1)(ख)(ii)

(मैनुअल संख्या-2)

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के अधिकारियों और कर्मचारियों का कर्तव्य प्रशिक्षण देना है तथा उन्हें कोई सांविधिक (statutory) शक्तियां नहीं है।

धारा 4 (1)(ख)(iii)

(मैनुअल संख्या-3)

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

अकादमी के लिए शासनादेश सं0 104/xxxvi(1)एक/2008-563/2001 दिनांक 04 अप्रैल, 2008 एवं संख्या: 137/XXXVI-A-1/2021-145/2018 दिनांक 26.03.2021 से गठित शासी परिषद (Governing Council) द्वारा कृत्यों का विनिश्चय एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। शासनादेश निम्नवत् है :-

\*\*\*\*

प्रेषक,

आर०डी० पालीवाल,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 04 अप्रैल, 2008

**विषय : उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (UJALA) के शासी परिषद (Governing Council) का गठन।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 944/UHC/Admin.A Section/2008 दिनांकित 15/17 मार्च, 2008 का अवलोकन करने करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (UJALA), भवाली, नैनीताल के बेहतर संचालन, सामान्य नियंत्रण एवं उसमें उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अकादमी के लिए महामहिम राज्यपाल, एक शासी परिषद (Governing Council) का निम्नवत् गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- |      |   |               |
|------|---|---------------|
| (1)  | मा० मुख्य न्यायमूर्ति, मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय   | मुख्य संरक्षक |
| (2)  | मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के एक मा० न्यायाधीश जिन्हें मा० मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित किया जायेगा             | सदस्य         |
| (3)  | अध्यक्ष, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी  | सदस्य         |
| (4)  | महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड  | सदस्य         |
| (5)  | प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन  | सदस्य         |
| (6)  | प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन  | सदस्य         |
| (7)  | प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन  | सदस्य         |
| (8)  | पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड   | सदस्य         |
| (9)  | महानिबन्धक, मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय  | सदस्य         |
| (10) | एक विद्वतजन, जिन्हें मा० मुख्य न्यायमूर्ति, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा नामित किया जायेगा।                  | सदस्य         |
| (11) | उत्तराखण्ड बार काउंसिल के नैनीताल स्थित एक सदस्य जिन्हें अध्यक्ष, बार काउंसिल, उत्तराखण्ड द्वारा नामित किया जायेगा। | सदस्य         |
| (12) | निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी   | सदस्य सचिव    |

3- उक्त शासी परिषद द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :-

- (1) अकादमी के सम्बन्ध में नीतियों का निर्धारण।
- (2) पाठ्यक्रम का अनुमोदन, पाठ्यक्रम की अवधि तथा अकादमी द्वारा समय-समय पर संचालित किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में अन्य मामलों का निर्धारण।

- (3) अकादमी के वार्षिक शैक्षिक कलेण्डर को अनुमोदित करना तथा अकादमी के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी उचित निर्णय हो उन्हें लागू करना।
- (4) अकादमी से सम्बन्धित मामलों के सुचारु सम्पादन हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत करना।
- (5) पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार तथा शासन द्वारा पद सृजित किये, के उपरान्त अकादमी के कार्यों के सुचारु प्रबन्धन हेतु नियमानुसार आवश्यक स्टाफ की तैनाती करवाना।
- (6) पुस्तकों, पत्रिका, रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक साहित्य का प्रकाशन तथा इनके विक्रय हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।
- (7) आय-व्ययक का प्रस्ताव तैयार कर उसे स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना।
- (8) अतिथि, स्पीकर्स/विजिटिंग फैकल्टी के पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण।
- (9) अकादमी के कार्यों से सम्बन्धित विदेशी विद्वान/अध्येता तथा उनके संगठन से पत्राचार करना।
- (10) भारत तथा भारत के बाहर अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि का नामांकन।
- (11) निदेशक/सदस्य सचिव के अधिकारों, कार्यों तथा कर्तव्यों का निर्धारण। प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य अधिकारों को अकादमी के अध्यक्ष तथा निदेशक अथवा अन्य अधिकारी जिसे उचित तथा आवश्यक समझा जायें, को प्रतिनिधानित करना।

4:- अकादमी के निदेशक तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां, प्रतिनियुक्ति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी जिन पर उक्त सेवा के अधिकारी की अपनी सेवा नियमावली की सेवा शर्तें लागू होंगी। अकादमी में नियुक्त किये जाने वाले अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक होंगे।

5- अकादमी के सम्बन्ध में किया गया प्रत्येक कार्य एवं शासी परिषद द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय, उत्तराखण्ड शासन की तत्समय प्रवृत्त कार्मिक तथा प्रशिक्षण-नीति, प्रत्येक सम्बन्धित विषय पर शासन द्वारा जारी विभिन्न नियमावलियों, वित्तीय नियमों, अधीनस्थ विधायन एवं शासनादेशों के अनुकूल ही होगा। शासी परिषद के सदस्यों को पृथक से कोई पारिश्रमिक/मानदेय/सुविधायें देय नहीं होंगी।

6- अकादमी के सुचारु संचालन के लिए शासी परिषद की समय-समय पर बैठकें होंगी, परन्तु दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होगा। मुख्य संरक्षक के पूर्व अनुमोदन से अकादमी के अध्यक्ष/निदेशक शासी परिषद की बैठक बुलायेंगे।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 2NP/वित्त अनुभाग-5/2008 दिनांक 04 अप्रैल, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(आर0डी0 पालीवाल)  
सचिव

**नोट:-** उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 115/XXXVI(1) (एक)/2009-563/2011 दिनांक 17 अप्रैल, 2009 द्वारा उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर 2 के क्रमांक 3 पर उल्लिखित 'अध्यक्ष' के पद का विलोपन कर दिया गया है।

\*\*\*\*

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 26 मार्च, 2021

**विषय :** उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल की शासी परिषद के पुनर्गठन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र सं0 : 883/XVII-14/Admin.A/2007 दिनांक 20.02.2021 तथा पत्र सं0 : 1588/XVII-14/Admin.A/ 2007 दिनांक 24.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल की शासी परिषद का पुनर्गठन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-104/XXXVI(1)एक/2008-563/2001 दिनांक 04.04.2008 तथा शासनादेश सं0-183/XXXVI(1)/2018-145/2018 दिनांक 12.06.2018 को अधिकमित करते हुए उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल की शासी परिषद का पुनर्गठन निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1.	Hon'ble the Chief Justice, High Court of Uttarakhand	Patron-in-Chief
2.	Two Hon'ble Judges of High Court of Uttarakhand to be nominated by Hon'ble the Chief Justice,	Members
3.	Principal Secretary/Secretary, Finance Department, Government of Uttarakhand	Member
4.	Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, Nainital	Member Secretary

3— उक्त शासी परिषद द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :-

- i- अकादमी के सम्बन्ध में नीतियों का निर्धारण।
- ii- पाठ्यक्रम का अनुमोदन, पाठ्यक्रम की अवधि तथा अकादमी द्वारा समय-समय पर संचालित किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में अन्य मामलों का निर्धारण।

- iii- अकादमी के वार्षिक शैक्षिक कलेण्डर को अनुमोदित करना तथा अकादमी के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी उचित निर्णय हो उन्हें लागू करना।
- iv- अकादमी से सम्बन्धित मामलों के सुचारू सम्पादन हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत करना।
- v- पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार तथा शासन द्वारा पद सृजित किये, के उपरान्त अकादमी के कार्यों के सुचारू प्रबन्धन हेतु नियमानुसार आवश्यक स्टाफ की तैनाती करवाना।
- vi- पुस्तकों, पत्रिका, रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक साहित्य का प्रकाशन तथा इनके विक्रय हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।
- vii- आय-व्ययक का प्रस्ताव तैयार कर उसे स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना।
- viii- अतिथि, स्पीकर्स/विजिटिंग फैकल्टी के पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण।
- ix- अकादमी के कार्यों से सम्बन्धित विदेशी विद्वान/अध्येता तथा उनके संगठन से पत्राचार करना।
- x- भारत तथा भारत के बाहर अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि का नामांकन।
- xi- निदेशक/सदस्य सचिव के अधिकारों, कार्यों तथा कर्तव्यों का निर्धारण। प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य अधिकारों को अकादमी के अध्यक्ष तथा निदेशक अथवा अन्य अधिकारी जिसे उचित तथा आवश्यक समझा जायें, को प्रतिनिधानित करना।

4- अकादमी के निदेशक तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां, प्रतिनियुक्ति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी, जिन पर उक्त सेवा के अधिकारी की अपनी सेवा नियमावली की सेवा शर्तें लागू होंगी। अकादमी में नियुक्त किये जाने वाले अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक होंगे।

5- अकादमी के सम्बन्ध में किया गया प्रत्येक कार्य एवं शासी परिषद द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय, उत्तराखण्ड शासन की तत्समय प्रवृत्त कार्मिक तथा प्रशिक्षण-नीति, प्रत्येक सम्बन्धित विषय पर शासन द्वारा जारी विभिन्न नियमावलियों, वित्तीय नियमों, अधीनस्थ विधायन एवं शासनादेशों के अनुकूल ही होगा। शासी परिषद के सदस्यों को पृथक से कोई पारिश्रमिक/मानदेय/सुविधायें देय नहीं होंगी।

6- अकादमी के सुचारू संचालन के लिए शासी परिषद की समय-समय पर बैठकें होंगी, परन्तु दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होगा। मुख्य संरक्षक के पूर्व अनुमोदन से अकादमी के अध्यक्ष/निदेशक शासी परिषद की बैठक बुलायेंगे।

भवदीय,  
/  
(प्रेम सिंह खिमाल)  
सचिव

**संख्या-** 137/XXXVI-A-1/2021-145/2018 तद्दिनांकित।

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ रोड़ देहरादून।



2. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6. अध्यक्ष/निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल ।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
8. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, जिला देहरादून ।
9. निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर ।
10. सचिव, उत्तराखण्ड बार काउन्सिल, नैनीताल ।
11. निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून ।
12. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
14. एन.आई.सी./गार्ड फाईल

आज्ञा से,  
(सयन सिंह)  
अपर सचिव

\*\*\*\*

**धारा 4 (1)(ख)(iv) (मैनुअल संख्या-4)**

**अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;**

अकादमी द्वारा पृथक से मापमान नहीं बनाये गये हैं, अपितु अकादमी की शासी परिषद एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिषा-निर्देशों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

**धारा 4 (1)(ख)(v) (मैनुअल संख्या-5)**

**अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा बनायी गयी नियमावली/षासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करना। अकादमी के अपने नियम/विनियम नहीं हैं।

**धारा 4 (1)(ख)(vi) (मैनुअल संख्या-6)**

**ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;**

अकादमी के नियंत्रण में इसके कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अभिलेख हैं जिनका आम आदमी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**धारा 4 (1)(ख)(vii) (मैनुअल संख्या-7)**

**किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;**

जनता के सदस्यों से परामर्श का कार्य अकादमी में सम्पादित नहीं होता है। अकादमी का कार्य विशुद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विधिक बिन्दुओं पर प्रशिक्षण देना है।

**धारा 4 (1)(ख)(viii) (मैनुअल संख्या-8)**

**ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;**

अकादमी की शासी परिषद द्वारा समय-समय पर पारित प्रस्तावों के कार्यवृत्त।

**धारा 4 (1)(ख)(ix)****(मैनुअल संख्या-9)****अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;**

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका इस प्रकार है :-

<b>S.No.</b>	<b>Name of the officer/official</b>	<b>Telephone Nos.</b>
1.	Sri Nitin Sharma Director	05942- 221374 (O)
2.	Sri Manish Kumar Pandey Additional Director	05942- 221123 (R)
3.	Sri Manindra Mohan Pandey Additional Director	05942-220666(R)
4.	Sri Sundeep Kumar Joint Director	05942-220657(R)
5.	Smt. Anita Arya Joint Director (Accounts)	7500871530
6.	Sri Bhupendra Shah Assistant Director	05942- 220125 (R)
7.	Office	05942- 221375
8.	Reception	05942- 220656
9.	Sri Govind B. Kapri Administrative Officer	05942- 221375
10.	Sri Manoj Kumar Pant Librarian	-
11.	Sri Kamlesh Kumar Suyal Accountant	-
12.	Ms. Supriya Tyagi Training Officer	
13.	Sri Harish Bora Assistant Accountant	-
14.	Sri Kamal Kumar Bhatt CareTaker	
15.	Sri Sandeep Singh Rawat Junior Assistant	-
16.	Sri Durga Dutt Assistant Librarian	-
17.	Sri Pradeep Singh Sports Assistant	-
18.	Sri Chandra Prakash Driver	-
19.	Sri Harish Ch. Bhatt Driver	-
20.	Sri Trilochan Mishra Driver	-
21.	Sri Umesh Uniyal Peon	-
22.	Sri Manish Ch. Pandey Peon	-

23.	Sri Shailendra K. Sharma Peon	-
24.	Sri Dharmendra S. Koranga Peon	-
25.	Sri Narendra Singh Peon	-
26.	Sri Vinod Singh Peon	-
27.	Sri Dheeraj Kumar Peon	-
28.	Sri Dev Singh Bisht Peon	-
29.	Sri Mazid Ali Peon	-
30.	Sri Harish S. Rawat Peon	-
31.	Sri Rajendra Singh Peon	-
32.	Sri Bhupal Ram Peon	-
33.	Sri Bhuwan Chandra Peon	-

**धारा 4 (1)(ख)(ख) (मैनुअल संख्या-10)**

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

**Monthly remuneration received by officers and officials of  
UJALA establishment as on June 01, 2022.**

Sl.No.	Name	Designation	Total emoluments (Rs)
1.	Sri Nitin Sharma	Director	2,26,005
2.	Sri Manish Kumar Pandey	Additional Director	1,90,992
3.	Sri Manindra Mohan Pandey	Additional Director	1,74,953
4.	Sri Sundeep Kumar	Joint Director	1,61,352
5.	Smt. Anita Arya	Joint Director(Account)	Addl.Charge
6.	Sri Bhupendra Shah	Assistant Director	1,07,903
7.	Sri Govind B. Kapri	Administrative Officer	72,772
8.	Sri Manoj Kumar Pant	Librarian	66,615
9.	Sri Kamlesh Kumar Suyal	Accountant	68,600
10.	Ms. Supriya Tyagi	Training Officer	48,235
11.	Sri Harish Bora	Assistant Accountant	40,890
12.	Sri Kamal Kumar Bhatt	CareTaker	37,243
13.	Sri Pradeep Singh	Sports Assistant	41,482
14.	Sri Sandeep Singh Rawat	Junior Assistant	30,461
15.	Sri Durga Dutt	Assistant Librarian	27,045
16.	Sri Chandra Prakash	Driver	42,643
17.	Sri Harish Ch. Bhatt	Driver	42,643
18.	Sri Trilochan Mishra	Driver	41,464
19.	Sri Umesh Uniyal	Peon	38,663
20.	Sri Manish Ch. Pandey	Peon	36,950
21.	Sri Shailendra K. Sharma	Peon	38,663

22.	Sri D. S. Koranga	Peon	38,853
23.	Sri Narendra Singh	Peon	38,663
24.	Sri Vinod Singh	Peon	38,663
25.	Sri Dheeraj Kumar	Peon	38,663
26.	Sri Dev Singh Bisht	Peon	38,963
27.	Sri Mazid Ali	Peon	38,663
28.	Sri Harish S. Rawat	Peon	38,663
29.	Sri Rajendra Singh	Peon	19,287
30.	Sri Bhupal Ram	Peon	38,663
31.	Sri Bhuwan Chandra	Peon	38,663

\*\*\*

#### धारा 4 (1)(ख)(xi) (मैनुअल संख्या-11)

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;

अकादमी को लेखा शीर्षक Grant No.04-2014-Administration of Justice-00-Non Plan-800-Other Expenses-09- Uttarakhand Judicial & Legal Academy (UJALA) में वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मदवार निम्न धनराशि (बजट) आवंटित की गयी है :-

क्रम संख्या	मानक मद व नाम	धनराशि (बजट) (रूपये)
1.	01-वेतन	1,60,00,000
2.	02-मजदूरी	10,000
3.	03-महंगाई भत्ता	88,00,000
4.	04-यात्रा व्यय	3,25,000
5.	06-अन्य भत्ते	12,00,000
6.	08-पारिश्रमिक	18,00,000
7.	10-प्रशिक्षण व्यय	34,00,000
8.	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	8,00,000
9.	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	2,75,000
10.	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,50,000
11.	22-कार्यालय व्यय	12,00,000
12.	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं सॉफ्टवेयर	1,00,000
13.	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	18,00,000
14.	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर	1,00,000
15.	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	38,00,000
16.	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	5,25,000

17.	40—मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	19,88,000
18.	42—अन्य विभागीय व्यय	5,50,000
19.	44—सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,00,000
20.	51—अनुरक्षण	4,00,000
21.	52—लघु निर्माण	50,000

**धारा 4 (1)(ख)(xii)** (मैनुअल संख्या-12)  
सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

अकादमी द्वारा सहायिकी कार्यक्रमों का संचालन नहीं किया जाता है।

**धारा 4 (1)(ख)(xiii)** (मैनुअल संख्या-13)

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

अकादमी में केवल प्रशिक्षण कार्य होता है। रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों से सम्बन्धित कार्य नहीं होता है।

**धारा 4 (1)(ख)(xiv)** (मैनुअल संख्या-14)

किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।

अकादमी द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना धारित नहीं की जाती। केवल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण (Presentations) आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रानिक रूप में रखे जाते हैं।

**धारा 4 (1)(ख)(xv)** (मैनुअल संख्या-15)

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

नागरिकों के लिए अकादमी के स्वागत कक्ष में बैठने की उचित सुविधा है जहां पर सूचना प्राप्त करने के लिए आने वाले नागरिकों की सहायता के लिए एक कर्मचारी उपस्थित रहता है। अकादमी पुस्तकालय केवल प्रशिक्षणार्थियों के प्रयोग के लिए है।

**धारा 4 (1)(ख)(xvi)** (मैनुअल संख्या-16)

अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

प्रथम अपीलीय अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी का विवरण

नाम व पदनाम	दूरभाष संख्या	पत्राचार का पता	ई-मेल
श्री संदीप कुमार संयुक्त निदेशक / प्रथम अपीलीय अधिकारी	05942-221375 (कार्यालय)	प्रथम अपीलीय अधिकारी, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, पत्रालय- भवाली, जिला-नैनीताल (उत्तराखण्ड) पिन - 263132	ujala-ua@nic.in
श्री गोविन्द बी. कापड़ी प्रशासनिक अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी	05942-221375 (कार्यालय)	लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, पत्रालय- भवाली, जिला-नैनीताल (उत्तराखण्ड) पिन - 263132	ujala-ua@nic.in

धारा 4 (1)(ख)(xvii)

(मैनुअल संख्या-17)

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

(1) अकादमी में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए 'उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (कर्मचारियों की सेवा) नियमावली, 2011' उत्तराखण्ड शासन के न्याय विभाग की अधिसूचना संख्या 210/XXXVI(1)/2011-98/2012 देहरादून, 23 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित की गई है।

(2) अकादमी में संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण-

(क) अकादमी द्वारा कलेण्डर वर्ष, 2021 में निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित किए गये :-

UTTARAKHAND JUDICIAL AND LEGAL ACADEMY, BHOWALI, NAINITAL  
Judicial Education & Training Programmes

for the Calendar Year 2021

Prog . No.	Programmes	Target Groups	Number of Participants	Days	Dates
1.	Foundation Training Programme for Newly Appointed (directly recruited) Judicial Officer in the H.J.S. Cadre 2019	Direct Recruited Judicial Officer in H.J.S. cadre 2019	01 Judicial Officer	Remaining One month (Physical mode)	01.12.2020 to 31.01.2021
2.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2018 Batch (3 <sup>rd</sup> phase of Institutional Training)	Civil Judges (J.D.) 2018 Batch	28 Judicial Officers	Three months (Physical mode)	31.12.2020 to 31.03.2021
3.	Training on "High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020"	Master trainers	08 Judicial Officers	One Day (Virtual mode)	22.02.2021

	(1 <sup>st</sup> phase)				
4.	Training on "High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020" (2 <sup>nd</sup> phase)	All Judicial Officers of Uttarakhand	242 Judicial Officers	One Day (Virtual mode)	28.02.2021
5.	E-Committee training programme of nominated Advocates of Bar Associations of Uttarakhand	Advocates	41 Advocates	One Day (Virtual mode)	04.04.2021
6.	Workshop on Civil Laws for Civil Judges (Sr. Div. & Jr. Div.) (1 <sup>st</sup> phase)	Civil Judges (Sr. Div. & Jr. Div.)	20 Judicial Officers	Three days (Virtual mode)	07.04.2021 to 09.04.2021
7.	One Day Training Programme for PLVs of District Tehri Garhwal	All the PLVs of District Tehri Garhwal	49 PLVs	One day (Virtual mode)	20.04.2021
8.	Training on 'Service Jurisprudence & Disciplinary Proceedings' & 'Criminal Justice Administration under CrPC' for Deputy Superintendents of Police (DSPs)/ Homeguards Commandants Cadre Officers	DSPs / Homeguards Commandants Cadre Officers	18 Police Officers	Two weeks (Virtual mode)	20.04.2021 to 22.04.2021 (deferred due to COVID-19 pandemic) 06.05.2021 to 13.05.2021 (deferred due to online NJA training of all faculty members of the Academy & NJA meeting) 18.05.2021 to 20.05.2021
9.	Training Programme on Gender Sensitization (1 <sup>st</sup> Phase)	All District & Sessions Judges of the State	23 Judicial Officers	One day (Virtual mode)	23.05.2021
10.	Training Programme on Gender Sensitization (2 <sup>nd</sup> Phase)	Additional District & Sessions Judges of the State	31 Judicial Officers	One day (Virtual mode)	30.05.2021
11.	Workshop on Civil Laws for Civil Judges (Sr. Div. & Jr. Div.) (2 <sup>nd</sup> phase)	Civil Judges (Sr. Div. & Jr. Div.)	20 Judicial Officers	Five days (Virtual mode)	01.06.2021 to 05.06.2021
12.	Workshop on issues relating to Criminal Laws for CJM's/ACJM's/Judicial Magistrates (1 <sup>st</sup> phase)	CJM's/ ACJM's/Judicial Magistrates	19 Judicial Officers	Five days (Virtual mode)	01.06.2021 to 05.06.2021
13.	Training Programme on Gender Sensitization (3 <sup>rd</sup> Phase)	Additional District & Sessions Judges of the State	31 Judicial Officers	One day (Virtual mode)	06.06.2021
14.	Training Programme on Gender Sensitization (4 <sup>th</sup> Phase)	Civil Judges (Sr. Div.)	38 Judicial Officers	One day (Virtual mode)	12.06.2021



15.	Training Programme on Gender Sensitization (5 <sup>th</sup> Phase)	Civil Judges (Sr. Div.)	38 Judicial Officers	One day (Virtual mode)	13.06.2021
16.	Workshop on issues relating to Criminal Laws for CJM's/ACJM's/Judicial Magistrates (2 <sup>nd</sup> phase)	CJM's/ ACJM's/Judicial Magistrates	20 Judicial Officers	Five days (Virtual mode)	15.06.2021 to 19.06.2021
17.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2018 Batch (Final phase of Institutional Training)	Civil Judges (J.D.) 2018 Batch	28 Judicial Officers	Two & half months (Physical mode)	16.06.2021 to 08.08.2021
18.	Training Programme on Gender Sensitization (6 <sup>th</sup> Phase)	Civil Judges (Jr. Div.)	45 Judicial Officers	One day (Virtual mode)	20.06.2021
19.	One Day Training Programme for PLVs of District Uttarkashi	All the PLVs of District Uttarkashi	51 PLVs	One day (Virtual mode)	23.06.2021
20.	*Training Programme on Gender Sensitization (7 <sup>th</sup> Phase)	Civil Judges (Jr. Div.)	38 Judicial Officers	One day (Virtual mode)	27.06.2021
21.	Training Programme for Members of Permanent Lok Adalats of all Districts at Expenses of NLSA/UKSLSA	Members of Permanent Lok Adalats of all Districts	08 Members of Permanent Lok Adalats	Two days (Virtual mode)	29.06.2021 to 30.06.2021
22.	One Day Training Programme on NDPS Act and POC SO Act for Police Personnel of all Districts	DSPs/Investigation Officers/Police Officers of all Districts	27 Police Officers	One day (Virtual mode)	01.07.2021
23.	*Training on "High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020" for DGCs, ADGCs, POs, APOs & Advocates of Bar Associations of all Districts (1 <sup>st</sup> phase)	All POs / DGCs / ADGCs/ APOs	179 Participants	One day-Virtual mode (Multiple phases)	04.07.2021
24.	Special Training Programme on use of Digital Space, Appreciation of Digital Evidence and Cyber Forensic for all Judges of Subordinate Courts	District Judges/ Additional Sessions Judges	25 Judicial Officers	Five Days (Virtual mode)	06.07.2021 to 10.07.2021
25.	*Training on "High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020" for DGCs, ADGCs, POs, APOs & Advocates of Bar Associations of all Districts (3 <sup>rd</sup> phase)	Advocates of Dehradun, Haridwar and Pauri Garhwal	All nominated Advocates of Dehradun, Haridwar and Pauri Garhwal	One day-Virtual mode (Multiple phases)	11.07.2021
26.	Special Training Programme on use of Digital Space, Appreciation of Digital Evidence and Cyber Forensic for all Judges of Subordinate Courts	Civil Judges (Sr. Div. & Jr. Div.)	20 Judicial Officers	Five days (Virtual mode)	14.07.2021 to 18.07.2021
27.	*Training on "High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020" for DGCs, ADGCs, POs, APOs & Advocates of Bar Associations of all Districts	Advocates of Dehradun, Haridwar and Pauri Garhwal	All nominated Advocates of Dehradun, Haridwar and Pauri Garhwal	One day-Virtual mode (Multiple phases)	18.07.2021

	(4th phase)				
28.	*Special Address cum Interactive Sessions by Hon'ble the Chief Justice of Uttarakhand High Court on Judgment Writing	All Civil Judge (Junior Division)	73 Judicial Officers	One day (Virtual mode) (1st Phase)	18.07.2021
29.	Training Programme for Panel Advocates associated with of all the District Legal Services Authorities of the State at UJALA at Expenses of NLSA/UKSLSA	Panel Advocates	31 Panel Advocates	Two days (Virtual mode)	23.07.2021 to 24.07.2021
30.	*Special Address cum Interactive Sessions by Hon'ble the Chief Justice of Uttarakhand High Court on Judgment Writing	All Civil Judge (Senior Division)	83 Judicial Officers	One day (Virtual mode) (IInd Phase)	25.07.2021
31.	*Training on "High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020" for DGCs, ADGCs, POs, APOs & Advocates of Bar Associations of all Districts (5 <sup>th</sup> & 6 <sup>th</sup> phase)	Advocates of Udham Singh Nagar	All nominated Advocates of Udham Singh Nagar	One day-Virtual mode (Multiple phases)	25.07.2021
32.	One Day Training Programme for PLVs of District Rudraprayag	All the PLVs of District Rudraprayag	18 PLVs	One day-Virtual mode	30.07.2021
33.	Initiative on Capacity Building of Judges on Child Protection, Mental Health, Psycho Social Health	ADJs/POCSO Judges	20 Judicial Officers	Two days (Virtual mode)	30.07.2021 to 31.07.2021
34.	*Training on "High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020" for DGCs, ADGCs, POs, APOs & Advocates of Bar Associations of all Districts (2 <sup>nd</sup> phase)	Advocates of Udham Singh Nagar	All nominated Advocates of Udham Singh Nagar	One day-Virtual mode (Multiple phases)	01.08.2021
35.	Training Programme for DGCs and ADGCs (Criminal) on Criminal laws	DGCs and ADGCs (Criminal)	29 Participants	Five days (Virtual mode)	03.08.2021 to 07.08.2021
36.	*Training on "High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020" for DGCs, ADGCs, POs, APOs & Advocates of Bar Associations of all Districts (7th phase)	Advocates of Almora	All nominated Advocates of Almora	One day-Virtual mode (Multiple phases)	08.08.2021
37.	*Training on "High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020" for DGCs, ADGCs, POs, APOs & Advocates of Bar Associations of all Districts (8th phase)	Advocates of Chamoli	All nominated Advocates of Chamoli	One day-Virtual mode (Multiple phases)	14.08.2021
38.	E-Committee training programme (4 <sup>th</sup> Phase) of all Advocates & Advocate Clerks of all District & Taluk level Bar Associations of Uttarakhand by Advocates Master Trainers	Advocates & Advocate Clerks of all District & Taluk level Bar Associations of Uttarakhand	All Advocates & Advocate Clerks of all District & Taluk level Bar Associations of Uttarakhand	One Day (Virtual mode through live streaming in You-Yube)	29.08.2021

39.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2018 Batch (Queries resolving phase of Institutional Training)	Civil Judges (J.D.) 2018 Batch	28 Judicial Officers	15 days (Virtual mode)	24.09.2021 to 09.10.2021
40.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2019 Batch (Ist phase)	Civil Judges (J.D.) 2019 Batch	17 Judicial Officers	Two and half months (Physical mode)	01.09.2021 to 15.11.2021
41.	Training Programme for recently promoted Judges in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre	Civil Judges (Sr. Div.)	15 Promoted Judicial Officers	Twelve days (Virtual mode)	10.11.2021 to 21.11.2021
42.	Training Programme for DGCs and ADGCs (Civil) on Civil laws	DGCs and ADGCs (Civil)	21 Participants	Two days (Physical mode)	01.12.2021 to 02.12.2021
43.	Capsule Course for Judge Advocate Officers of Indian Air Force	Experienced Judge Advocate Officers	03 Officers	Five days (Physical mode)	07.12.2021 to 11.12.2021
44.	Foundation Training Programme for Assistant Prosecution Officers ( APOs) in the waiting list of the State	Assistant Prosecution Officers ( APOs)	05 Officers	One Month (Physical mode)	25.11.2021 to 24.12.2021

\*\*\*\*

(ख) अकादमी द्वारा कलेण्डर वर्ष, 2022 के लिए निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित/निर्धारित किए गये हैं :-

### **UTTARAKHAND JUDICIAL AND LEGAL ACADEMY, BHOWALI, NAINITAL**

#### Judicial Education & Training Programmes for the Calendar Year 2022

**Tentative**

#### **An Overview**

Prog. No.	Programmes	Target Groups	Number of Participants	Days	Proposed Dates
1.	Two days Workshop on emerging trends in Cyber law and Crimes for CJMs & ACJMs (Ist Phase) (Virtual Mode)	CJM's/ACJM's	20 Judicial Officers	Two Days	04.01.2022 to 05.01.2022
2.	One day Workshop on Criminal Law & Procedure for all Judicial Officers of the State	All Judicial Officers of Uttarakhand	252 Judicial Officers	One Day	09.01.2022
3.	Two days Workshop on emerging trends in Cyber law and Crimes for ACJMs & JMs (IInd Phase) (Virtual Mode)	ACJM's/ Judicial Magistrates	20 Judicial Officers	Two Days	12.01.2022 to 13.01.2022

4.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2019 Batch (IInd phase of Institutional Training)	Civil Judge (J.D.) 2019 Batch	17 Judicial Officers	Four months	16.01.2022 to 15.05.2022
5.	One day Training Programme on Gender Sensitization under the directions of Hon'ble Supreme Court given in 2021 SCC online SC 230	Civil Judge (Jr. Div.) including Officers of 2019 Batch	30 Judicial Officers	One Day	19.01.2022
6.	One day Training Programme on Gender Sensitization under the directions of Hon'ble Supreme Court given in 2021 SCC online SC 230	DGC/ADGC (Crim.)	30 Officers	One Day	28.01.2022
7.	One day Training Programme on Gender Sensitization under the directions of Hon'ble Supreme Court given in 2021 SCC online SC 230	POs & APOs	30 Officers	One Day	11.02.2022
8.	Two days Workshop on emerging trends in Cyber law and Crimes for ACJMs & JMs (IIIrd Phase) (Virtual Mode)	Judicial Magistrates	20 Judicial Officers	Two Days	02.03.2022 to 03.03.2022
9.	Two days Workshop on emerging trends in Cyber law and Crimes for DJs & ADJs (Ist Phase) (Virtual Mode)	District & Sessions Judges/ADJs	20 Judicial Officers	Two Days	08.03.2022 to 09.03.2022
10.	Two days Workshop on emerging trends in Cyber law and Crimes for DJs & ADJs (IInd Phase) (Virtual Mode)	Additional District & Sessions Judges	20 Judicial Officers	Two Days	15.03.2022 to 16.03.2022
11.	Two days Workshop on emerging trends in Cyber law and Crimes for DJs & ADJs (IIIrd Phase) (Virtual Mode)	Additional District & Sessions Judges	20 Judicial Officers	Two Days	23.03.2022 to 24.03.2022
12.	* Training programme on ICT & eCourts Induction Programme for the newly recruited Civil Judges	Civil Judge (J.D.) 2019 Batch	17 Judicial Officers	Two Days	28.03.2022 to 29.03.2022
13.	*Training programme on Cyber Laws & Appreciation & Handling of Digital Evidence- Refresher Programme (Virtual Mode)	Civil Judge (Sr. Div.)	20 Judicial Officers	One Day	31.03.2022
14.	Three days Refresher Training Programme for Civil Judges (Sr. Div.) and Civil Judges (Jr. Div.) on recent developments in	Civil Judge (Sr. Div./ Jr.Div.)	20 Judicial Officers	Three days	04.04.2022 to 06.04.2022

	Civil Laws including Execution, Prescribed Authority and Local Acts (Ist Phase)				
15.	One Week Institutional Training Programme for Newly Recruited Personnel of the Establishment of High Court of Uttarakhand	Newly Recruited Personnel of the Establishment of High Court of Uttarakhand	56 participants	One Week	18.04.2022 to 24.04.2022
16.	* Programme for Court Managers & Administrative Head Staffs of District Judiciary (Ist phase)	Administrative Head Staffs & Court Managers from every District	Nominated Administrative Head Staffs & Court Managers from every District	One day	23.04.2022
17.	Three days Refresher Training Programme for Civil Judges (Sr. Div.) and Civil Judges (Jr. Div.) on recent developments in Civil Laws including Execution, Prescribed Authority and Local Acts (IInd Phase)	Civil Judge (Sr. Div./ Jr.Div.)	20 Judicial Officers	Three days	25.04.2022 to 27.04.2022
18.	One day Training Programme on Gender Sensitization	DSPs & Inspector Rank Officers	30 Police Officers	One Day	28.04.2022
19.	*Programme for Technical staffs of District Courts Hardware & Software maintenance, Data Replication, Data monitoring, VC equipment, Lan connections, etc	Technical Staffs/ District System Administrator/ System Officers	All Technical Staffs/ District System Administrator/ System Officers	One day	30.04.2022
20.	Three days Refresher Training Programme on emerging trends and recent developments in Criminal Laws including Local & Special Acts for CJM's/Judicial Magistrates (Ist Phase)	CJM's/ ACJM's	20 Judicial Officers	Three days	04.05.2022 to 06.05.2022
21.	Special Training Programme to sensitize the Judicial Officers manning POCSO/FTSC (POCSO) Courts across the State	All Judicial Officers manning POCSO/ FTSC (POCSO) Courts across the State	15 Judicial Officers	One Day	08.05.2022
22.	Three days Refresher Training Programme on emerging trends and recent developments in Criminal Laws including Local & Special Acts for CJM's/Judicial Magistrates (IInd Phase)	ACJM's/ Judicial Magistrates	20 Judicial Officers	Three days	18.05.2022 to 20.05.2022
23.	*Programme for Court Managers & Administrative	Administrative Head Staffs &	Nominated Administrative	One day	

	Head Staffs of District Judiciary (IInd phase)	Court Managers from every District	Head Staffs & Court Managers from every District		21.05.2022
24.	*Refresher programme for Court Staffs & N step Training (Ist phase)	Administrative head, Nazarat, Process servers	Nominated Administrative head, Nazarat, Process servers	One day	28.05.2022
25.	Three days Refresher Training Programme for Civil Judges (Sr. Div.) and Civil Judges (Jr. Div.) on recent developments in Civil Laws including Execution, Prescribed Authority and Local Acts (IIIrd Phase)	Civil Judge (Sr. Div. / Jr. Div.)	20 Judicial Officers	Three days	01.06.2022 to 03.06.2022
26.	Three days Refresher Training Programme on emerging trends and recent developments in Criminal Laws including Local & Special Acts for CJM's/Judicial Magistrates (IIIrd Phase)	ACJM's /Judicial Magistrates	20 Judicial Officers	Three days	15.06.2022 to 17.06.2022
27.	*Refresher programme for Court Staffs & N step Training (IInd Phase)	Administrative head, Nazarat, Process servers	Nominated Administrative head, Nazarat, Process servers	One day	18.06.2022
28.	Foundation Training Programme for Promoted Judicial Officers in H.J.S. cadre	Promoted Judicial Officers in H.J.S. cadre	All Newly Promoted Judicial Officers	One Month	20.06.2022 to 19.07.2022
29.	Workshop on issues relating to Juvenile Justice under the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 & Rules for Principal Magistrates, Juvenile Justice Boards posted in the various districts of State	All Principal Magistrates JJBs	All Principal Magistrates JJBs	One Day	22.06.2022
30.	Workshop on 'Negotiable Instruments Act, 1881' for CJM's/Judicial Magistrates (Ist phase)	CJM's/ ACJM's	20 Judicial Officers	One Day	24.06.2022
31.	*Refresher programme for Court Staffs (Ist Phase)	Staff of District Judiciary	Nominated Staff of District Judiciary	One day	25.06.2022
32.	Workshop on issues relating to Juvenile Justice under the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 & Rules for Principal Magistrates, Juvenile Justice Boards posted in the various Districts of State	All members of JJBs	All members of JJBs	One Day	27.06.2022

33.	Workshop on 'Negotiable Instruments Act, 1881' for CJM's/Judicial Magistrates (IIInd phase)	ACJM's/ Judicial Magistrates	20 Judicial Officers	One Day	29.06.2022
34.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2019 Batch (IIIrd phase of Institutional Training)	Civil Judges (J.D.) 2019 Batch	17 Judicial Officers	Two and half months plus about 21 days for Uttarakhand Darshan	01.07.2022 to 05.10.2022
35.	*Refresher programme for Court Staffs & N step Training (IIIrd Phase)	Administrative head, Nazarat, Process servers	Nominated Administrative head, Nazarat, Process servers	One day	02.07.2022
36.	Workshop on 'Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012' for POCSO Judges (Virtual Mode)	All Judges presiding over POCSO Courts	All Judges presiding over POCSO Courts	Two Days	13.07.2022 to 14.07.2022
37.	Workshop on Gender Sensitization for Tehsildar and Naib-Tehsildar/Patwari (Virtual Mode)	Tehsildar and Naib-Tehsildar/ Patwari	30 Officers	One Day	19.07.2022
38.	*Refresher programme for Court Staffs (IIInd Phase)	Staff of District Judiciary	Nominated Staff of District Judiciary	One day	23.07.2022
39.	One day Workshop on 'Service Jurisprudence & Disciplinary Proceedings' for DMs, SDMs, IPS and IFS (Virtual Mode)	DMs, SDMs, IPS and IFS	30 Officers	One Day	25.07.2022
40.	One day Workshop for DJs and SSPs on MACP (Ist Phase) (Virtual Mode)	DJs & SSPs	10 DJs & 10 SSPs	One day	28.07.2022
41.	One day Workshop for ADJs and ASPs on MACP (IIInd Phase) (Virtual Mode)	ADJs & ASPs	10 ADJs & 10 ASPs	One day	03.08.2022
42.	One day Workshop for ADJs and ASPs on MACP (IIIrd Phase) (Virtual Mode)	ADJs & ASPs	10 ADJs & 10 ASPs	One day	05.08.2022
43.	*Refresher programme for Court Staffs (IIIrd Phase)	Staff of District Judiciary	Nominated Staff of District Judiciary	One day	06.08.2022
44.	Workshop for Civil & Criminal law relating to Appeals, Revision for ADJs (Ist Phase)	Additional District & Sessions Judges	20 Judicial Officers	Two Days	17.08.2022 to 18.08.2022
45.	*Advocate/Advocate Clerk Ecourts Programme at District Headquarters (Ist Phase)	Advocate/Advocate Clerk	180 Advocates /Advocate Clerk	One day	20.08.2022
46.	Workshop for Civil & Criminal law relating to	Additional District & Sessions Judges	20 Judicial Officers	Two Days	23.08.2022 to 24.08.2022

	Appeals, Revision for ADJs (IInd Phase)				
47.	Workshop for Civil & Criminal law relating to Appeals, Revision for ADJs (IIIrd Phase)	Additional District & Sessions Judges	20 Judicial Officers	Two Days	30.08.2022 to 31.08.2022
48.	*Advocate/Advocate Clerk Ecourts Programme at District Headquarters (IInd Phase)	Advocate/Advocate Clerk	180 Advocates /Advocate Clerk	One day	03.09.2022
49.	Training on Civil Law for District Government Counsels /Additional District Government Counsels/ Assistant District Government Counsels (Civil)	DGCs/ADGCs (Civil)	30 Officers	Two Days	05.09.2022 to 06.09.2022
50.	Two days Workshop on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for DJs & ADJs (Ist Phase)	DJs & ADJs	20 Judicial Officers	Two Days	14.09.2022 to 15.09.2022
51.	Training on Criminal Law for District Government Counsels /Additional District Government Counsels / Assistant District Government Counsels (Criminal)	DGCs/ADGCs (Criminal)	30 Officers	Two Days	20.09.2022 to 21.09.2022
52.	*Advocate/Advocate Clerk Ecourts Programme at Taluk/ Village (Once in 3 months) (Ist Phase)	Advocate/Advocate Clerk	180 Advocate /Advocate Clerk	One day	24.09.2022
53.	Two days Workshop on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for DJs & ADJs (IInd Phase)	DJs & ADJs	20 Judicial Officers	Two Days	27.09.2022 to 28.09.2022
54.	Training for Newly Appointed Assistant Prosecuting Officers (APOs) of the State	APOs	All newly appointed APOs	One Month	01.10.2022 to 31.10.2022
55.	Joint Workshop on 'Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012', DNA and PCPNDT Act for Doctors and SPs/DSPs of the State	Doctors and SPs/DSPs	20 Officers	Two Days	11.10.2022 to 12.10.2022
56.	*Advocate/Advocate Clerk Ecourts Programme at Taluk/ Village (Once in 3 months) (IInd Phase)	Advocate/Advocate Clerk	180 Advocate /Advocate Clerk	One day	15.10.2022



57.	Foundation Training Programme for Newly Appointed Civil Judges (Jr. Div.) Cadre	Newly Appointed Civil Judges (Jr. Div.)	All Newly Appointed Judicial Officers	Two & Half Months	17.10.2022 to 31.12.2022
58.	*Advocate/Advocate Clerk Ecourts Programme at Taluk/ Village (Once in 3 months) (IIIrd Phase)	Advocate/Advocate Clerk	180 Advocate /Advocate Clerk	One day	22.10.2022
59.	Refresher Course for Civil Judge (Jr. Div.) 2018 Batch	Civil Judge (J.D.) 2018 Batch	28 Judicial Officers	15 days	01.11.2022 to 15.11.2022
60.	*Master Trainer Programme for New Master trainers	Nominated new Master trainers	Nominated new Master trainers	Two days	02.11.2022 to 03.11.2022
61.	*Training Programme on Digitization at High Court level	High Court Digitization officials/Staffs	Nominated High Court Digitization officials/Staffs	One day	06.11.2022
62.	Training Programme for Newly Promoted Civil Judges (Sr. Div.) Cadre	Newly Promoted Civil Judges (Sr. Div.)	All Newly Promoted Judicial Officers	Five days	21.11.2022 to 25.11.2022
63.	Training Programme for Prosecuting Officers, Assistant Prosecuting Officers and nominated Prosecuting Officers	Pos/APOs/Panel Advocates	30 Officers	Two days	28.11.2022 to 29.11.2022
64.	*Programme for Technical staffs of High Court Hardware & Software maintenance, Data Replication, Data monitoring, VC equipment, Lan connections, etc	Technical Staffs & NIC Coordinators at High court	Nominated Technical Staffs & NIC Coordinators at High court	Two days	03.12.2022 to 04.12.2022
65.	Training on SC & ST Act, Electricity Act, Arbitration & Adoption laws for District Judges	District & Sessions Judges	15 Judicial Officers	Two Days	06.12.2022 to 07.12.2022
66.	*Computer Skill enhancement Programme-Level I & II	Advocate/Advocate Clerk	180 Advocate /Advocate Clerk	Two days	17.12.2022 to 18.12.2022
67.	Two days Training Programme for DLSA Secretaries	DLSA Secretaries	All DLSA Secretaries	Two Days	12.12.2022 to 13.12.2022
68.	Two days Workshop on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for DJs & ADJs (IIIrd Phase)	DJs & ADJs	20 Judicial Officers	Two Days	15.12.2022 to 16.12.2022
69.	Two days Special Training Programme for Judges of CJM/ ACJM {Civil Judge (Sr. Div.) Cadre}, DFOs, SDOs, and Senior Range Officers on Wildlife Protection and Forest Laws.	CJM/ ACJM {Civil Judge (Sr. Div.) Cadre}, DFOs, SDOs, and Senior Range Officers	20 Judicial Officers	Two Days	19.12.2022 to 20.12.2022
70.	Field Workshops for Judges of Subordinate Courts on	Civil Judges (Sr. Div. & Jr. Div.)	15 Judicial Officers	Three days	

	Environmental, Wildlife and Bio-diversity Sensitization with Stress Management workouts at Environmental and Bio-diversity Zones of Uttarakhand				21.12.2022 to 23.12.2022
--	---	--	--	--	--------------------------------

\*\*\*\*\*